

सादी कब्र चण्डाल  
सि.प.व सज्जा 169/2013 ड्राफ्ट 190/2013-ने

26/3/24 प्राणकी सेवा इहे (वकील प्रवर्षी)

~~अनुपस्थित~~ अनुपस्थित वकील  
प्राणकी को काट काट कासाज  
जगवादी गरी इसके अग्रान्त भी  
अपस्थित नहीं / अतः वकील प्राणकी  
की अनुपस्थिति में प्राणकी को  
जमाना पर जमाना विधि धारा  
212 Cr.P.C. के अन्तर्गत अदालत  
में प्रवर्षी के अग्रान्त जमाना  
है प्राणकी के अग्रान्त जमाना  
होना नया न था

A  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)  
जयपुर